न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

वादीगण :–
रूपाराम पुत्र जोधा जाति बावरी
निवासी रीड़ तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. हनुमानराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल
निवासी रीड़ तह. परबतसर
2. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती
उपस्थित :– श्री गजराज चोहान अधिवक्ता वादी व श्री शैतान सिंह खंगारोत अधिवक्ता प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर :– 2024 / 50

निर्णय दिनांक :– 13.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम रीड की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 383 रकबा 3.400 हैक्टर जमीन स्थित है। वादी की उक्त भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी थी। जिसमें से वादी ने 1 बीघा जमीन अर्थात 0.1618 हैक्टर जमीन का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 को किया था। जो 1648/34000 का हिस्सा बैचान वादी ने किया था। शेष हिस्सा वादी का बदस्तुर रहा। परन्तु राजस्व कर्मचारी की त्रुटी से वादी का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया है। वादी का नाम जमाबंदी से हट गया। वादी द्वारा अपनी 1/4 की खातेदारी में से 1618/34000 का बैचान किया था शेष हिस्सा वादी के नाम रहना था। जो सहवन से हट गया। इसलिए वादी द्वारा 6882/34000 हिस्से की खातेदारी में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी 1/4 के स्थान पर 1618/34000 की बनती है। इसलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती की इस्तदुआ चाही है।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह खंगारोत ने वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित रहें। प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार है। वाद में इकवालिया जवाब पेष होने से वादी की षाहादत बन्द की जाकर, वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया । वकील वादी ने दावे के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2073–76 पेश कि जिसके खाता संख्या नया 436 खसरा नम्बर 383 रकबा 3.400 हैक्टर में हनुमानराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी रीड़ का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी में अन्य खातेदार भी है जो वाद में पक्षकार नहीं है। जिनके विरूद्ध इस वाद में कोई इस्तदुआ नहीं मांगी गई है। वादी का जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में खातेदारी इन्द्राज नहीं है केवल प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी इन्द्राज है। रजिस्टर बेचान दिनांक 04.08.2023 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 147 में पृष्ठ संख्या 38 क्र.स 202303280100608 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 420 के पृष्ठ संख्या 200 से 207 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या1 को 0.1618 हैक्टर अर्थात 1618/34000 हिस्से का बैचान किया था लेकिन नामान्तरण संख्या 602 दिनांक 18.08.2023 दर्ज करते समय सहवन से लिपिकिय भूल से वादी के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनंक 20.09.2023 को स्वीकृत हो गई। जो सहवन से त्रुटी है। उक्त त्रुटी दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद पत्र के पक्ष में इकाबालिया जवाब पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति है। वादी का वाद पत्र किसी प्रकार से खण्डित नहं होता है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रिड़ की राजस्व जमीन खसरा नम्बर 383 रकबा 3.4000 हैक्टर जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम किया जाकर वादी का 6882/34000 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1618/34000 हिस्सा की खातेदारी घोषित कि जाती है। शेष भूमि सहखातेदारों की यथावत रहेगी। तदनुसार खातेदारी में दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर